

**न्यायालय:-द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, तहसील बैहर,
जिला बालाघाट (म0प्र0)
समक्ष:-दिलीप सिंह**

आर.सी.एस.ए-300043 / 2016

संस्थित दिनांक-15.07.16

1. देवसिंह, उम्र 57 वर्ष, पिता छत्तरसिंह, जाति गोंड,
निवासी-ग्राम मदनपुर, तह. परसवाड़ा, जिला-बालाघाट,
2. दुरपसिंह, उम्र 45 वर्ष, पिता छत्तरसिंह, जाति गोंड,
निवासी-ग्राम सीताडोंगरी, तह. परसवाड़ा, जिला बालाघाट

...वादीगण

- / / विरुद्ध / / -

1. बृजलाल उम्र-55 वर्ष, पिता अत्तरसिंह, जाति गोंड,
2. श्रीमति नन्दोबाई, उम्र-68 वर्ष, पति स्व. श्री अत्तरसिंह, जाति गोंड,
दोनों निवासी-सलघट, तह. परसवाड़ा, जिला बालाघाट
3. म.प्र. राज्य द्वारा कलेक्टर महोदय, बालाघाट

....प्रतिवादीगण

- / / निर्णय / / -

(आज दिनांक-18.12.2017 को घोषित)

1. वादीगण ने यह वादपत्र प्रतिवादीगण के विरुद्ध हक घोषणा एवं कब्जा प्राप्त हेतु प्रस्तुत किया है एवं प्रतिवादीगण ने वादीगण के विरुद्ध विवादित भूमि के संबंध में स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रतिदावा प्रस्तुत किया है।
2. वादीगण का वादपत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं, जो कि मूल पुरुष माहरु के विधिक वारसान हैं। वादीगण ने उनके वादपत्र के पैरा-2 में उनके वंशवृक्ष के बारे में उल्लेख किया है। मूल पुरुष माहरु के दो पुत्र छत्तरसिंह व अत्तरसिंह थे, जो फौत हो चुके हैं। छत्तरसिंह की पत्नी ओझेबाई फौत हो चुकी है, जिनके देवसिंह एवं दुरपसिंह वारसान हैं। अत्तरसिंह की पत्नी प्रति.क.2 नन्दोबाई है तथा पुत्र बृजलाल है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खानदानी भूमि ख.नं.182/1 रकबा 4.840 हे. मौजा ग्राम सलघट, प.ह.नं. 41 रा.नि.मं. मजगांव, तह. परसवाड़ा, जिला बालाघाट में स्थित है। उक्त भूमि पूर्व में वादीगण के पिता छत्तरसिंह एवं प्रति.क.1 के पिता एवं क. 2 के पति अत्तरसिंह के नाम पर शामिल-सरीक खाते में दर्ज थी। उक्त भूमि को गीताबाई ने दिनांक-28.08.1973 को 5000/-रुपये में रजिस्टर्ड बयनामा के माध्यम से क्रय की थी। उक्त भूमि को गीताबाई द्वारा कपटपूर्वक अंतरण किये जाने के कारण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैहर के

न्यायालय द्वारा रा.प्र.क.84 अ/23 वर्ष 1981-82 में दिनांक-30.04.1984 को आदिवासी की भूमि गैर आदिवासी द्वारा कपटपूर्वक अंतरण किये जाने के कारण छत्तरसिंह एवं अत्तरसिंह को म.प्र.भू.रा.संहिता की धारा 170-ख के तहत वापस किये जाने का आदेश पारित किया गया था। आदेशानुसार विवादित भूमि के राजस्व प्रलेखों में छत्तरसिंह एवं अत्तरसिंह का नाम दर्ज होना था, किन्तु अत्तरसिंह द्वारा राजस्व अधिकारियों से मेल जोल कर नायब तहसीलदार के न्यायालय से संशोधन क्र. 33 दिनांक-12.10.1993 पारित करवाकर स्वयं का नाम राजस्व प्रलेखों में दर्ज करवा लिया था। छत्तरसिंह व उसके वारसानों का नाम राजस्व प्रलेखों में नहीं दर्ज करवाया गया था।

3. वादीगण ने उनके वादपत्र में यह भी बताया है कि उनके आवेदन के आधार पर तहसीलदार परसवाड़ा द्वारा रा.प्र.क. 13 अ/6 वर्ष 2005-06 आदेश दिनांक-19.10.2006 के द्वारा विवादित भूमि के राजस्व प्रलेखों में छत्तरसिंह वादी क्र.1 देवसिंह, वादी क्र. 2 दुरपसिंह तथा ओझेबाई का नाम प्रतिवादीगण के साथ शामिल-सरीक में दर्ज किये जाने का आदेश दिया था। नायब तहसीलदार परसावड़ा द्वारा संशोधन क्र. 33 दिनांक-12.10.93 को त्रुटिपूर्ण मानते हुए त्रुटि सुधार कर उक्त लोगों का नाम राजस्व प्रलेखों में दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया था। नायब तहसीलदार परसवाड़ा के रा.प्र.क.13 अ/6 वर्ष 2005-06 में पारित आदेश दिनांक-19.10.2006 के विरुद्ध प्रतिवादीगण ने अनुविभागीय अधिकारी बैहर के न्यायालय में राजस्व अपील पेश की थी, जिसका रा.अपील प्र. क्र.8 अ/6 वर्ष 2006-07 है, जिसमें दिनांक-29.09.07 को आदेश पारित कर नायब तहसीलदार परसवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक-19.10.2006 को निरस्त किया गया था। उक्त आदेश से परिवेदित होकर वादीगण द्वारा एडिशनल कमिश्नर जबलपुर के न्यायालय में अपील क्र.254/अ-6 वर्ष 2007-08 पेश की गई थी, जो दिनांक-14.12.2012 को निरस्त हो गई थी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैहर द्वारा पारित आदेश दिनांक-29.09.2007 को यथावत रखा गया था। विवादित भूमि पर छत्तरसिंह एवं अत्तरसिंह का बराबर-बराबर हक होने के कारण वादीगण विवादित भूमि पर 1/2 अंश प्राप्त करने की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। विवादित भूमि के राजस्व प्रलेखों पर प्रतिवादीगण के पूर्वज अत्तरसिंह द्वारा स्वयं का नाम दर्ज करवा लिया गया था, जिसकी मृत्यु के पश्चात उसके वारसान प्रतिवादीगण का नाम दर्ज चला आ रहा है एवं संपूर्ण भूमि पर प्रतिवादीगण का ही कब्जा चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में वादीगण के अंश की रकबा 5.98 एकड़ का प्रतिवादीगण से वादीगण कब्जा प्राप्त करने के हकदार हैं।

वादीगण ने उनके वादपत्र की प्रार्थना के अनुसार उनके पक्ष में डिक्री दिये जाने का निवेदन किया है।

4. प्रति.क्र-1 एवं 2 की ओर से वादीगण के वादपत्र का जवाबदावा एवं प्रतिदावा प्रस्तुत कर उनके विशेष कथन एवं प्रतिदावा में बताया है कि विवादित भूमि ख.नं.182/1 रकबा 4.840 हे. मौजा सलघट प.ह.नं. 41 की भूमि पूर्व में वादीगण के पिता एवं प्रतिवादीगण के पिता एवं उनके भाई झाड़ू की थी, किन्तु वादपत्र की कंडिका-2 में गलत खानदानी सिजरा दर्शाया गया है। वादीगण द्वारा मृतक झाड़ू व उसके पुत्र बीरसिंह को खानदानी सिजरा में नहीं दर्शाकर विधि विरुद्ध गलत तथ्यों के आधार पर झूठा दावा पेश किया है, जिसमें पक्षकारों का कुसंयोजन है। विवादग्रस्त भूमि पूर्व में वादीगण एवं प्रतिवादीगण महारू के वारसान के नाम पर दर्ज थी, जिसे वर्ष 1993 में छत्तरसिंह ने गीताबाई को चोरी से विक्रय कर दी थी। जिसकी जानकारी होने के बाद प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि को वापस लिये जाने के लिए आवेदनपत्र अनुविभागीय अधिकारी बैहर के न्यायालय में पेश किया था, जिस पर से प्र.क्र-84अ-23 वर्ष 1981-82 दर्ज हुआ था। उक्त आवेदन का विधिवत् विचारण किया जाकर दिनांक-30.04.1984 को विवादित भूमि को न्यायालय द्वारा वापस किये जाने का आदेश पारित किया था। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के आधार पर विवादित भूमि पर अत्तरसिंह का नाम उसके कब्जे के आधार पर राजस्व रिकार्ड पर दर्ज हुआ था। वादीगण द्वारा किसी प्रकार की दावा आपत्ति नहीं की गई थी। इस कारण विवादित भूमि पर विधिवत् प्रति.क्र.1 के पिता एवं प्रति.क्र.2 के पति का नाम दर्ज चला आ रहा है। नामांतरण के पश्चात् वादीगण के पिता के फौत होने के बाद वादीगण ने प्रति.क्र.1 के पिता एवं प्रति.क्र.2 के पति के पक्ष में इकरारनामा दिनांक-13.12.1994 एवं प्रति.क्र.1 के बड़े पिता झाड़ूसिंह के पुत्र बीरसिंह ने उसके पिता के फौत होने के पश्चात् इकरारनामा दि.-26.07.96 को लिखा था कि उक्त विवादित भूमि के संबंध में पूर्व में चले झगड़े व न्यायालयीन कार्यवाही में प्रति.क्र.1 के पिता ने अपनी पूंजी खर्च कर भूमि न्यायालयीन आदेश से प्राप्त की है। इस कारण भविष्य में उनका कोई हक नहीं रहेगा एवं कोई आपत्ति नहीं करेंगे। प्रति. क्र.1 एवं 2 ने उनका प्रतिदावा स्वीकार कर वादीगण का वाद निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

5. वादीगण की ओर से प्रति.क्र-1 एवं 2 के प्रतिदावा का जवाब प्रस्तुत कर प्रतिदावा को अस्वीकार कर उनके विशेष कथन में बताया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिता के नाम से विवादित भूमि थी। विवादित भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिता ने गीताबाई को दि. 28.08.73 को विक्रय कर

दी थी। उक्त भूमि को गीताबाई द्वारा कपटपूर्वक प्राप्त करने के कारण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैहर के न्यायालय द्वारा रा.प्र.क्र. 84अ/23 वर्ष 1981-82 में दि. 30.04.84 को आदिवासी की भूमि गैर आदिवासी द्वारा कपटपूर्वक अंतरण होने के कारण छत्तरसिंह व अत्तरसिंह को वापस किये जाने का आदेश पारित किया था। आदेशानुसार विवादित भूमि के राजस्व प्रलेखों में पर छत्तरसिंह एवं अत्तरसिंह का नाम दर्ज होना था, किन्तु प्रति.क्र.1 के पिता एवं प्रति.क्र.2 के पति द्वारा राजस्व अधिकारियों से मेल-जोल कर नायब तहसीलदार परसवाड़ा के न्यायालय से संशोधन क्र. 33 आदेश दि. 12.10.1993 पारित कराकर स्वयं का नाम राजस्व प्रलेखों में दर्ज करवा लिया था एवं अत्तरसिंह व उसके वारसान वादीगण का नाम उक्त भूमि के राजस्व प्रलेखों में दर्ज नहीं किया गया था।

6. प्रकरण में प्रति.क्र.-3 दिनांक-11.05.2017 को एकपक्षीय हुआ हैं। इस कारण प्रति.क्र.-3 की ओर से वादीगण के वादपत्र का जवाबदावा नहीं दिया है।

7. प्रकरण में तत्कालीन विद्वान पूर्व पीठासीन अधिकारी ने निम्नलिखित वादप्रश्न विरचित किये थे, जिनके सम्मुख मेरे द्वारा विवेचना उपरांत निष्कर्ष अंकित किये गए।

क.	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या वादीगण एवं प्रतिवादी क्रमांक-1 एवं 2 विवादित भूमि सर्वे क्रमांक-182/1 रकबा 4.820 हेक्टेयर मौजा सलघट तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट के स्वामी एवं आधिपत्यधारी है ?	“प्रमाणित नहीं”
2	क्या वादीगण विवादित भूमि में से उनके अंश की 5.9 एकड़ $\frac{1}{2}$ अंश भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक-1 एवं 2 से कब्जा पाने के अधिकारी हैं ?	“प्रमाणित नहीं”
3	क्या वादीगण एवं प्रतिवादी क्रमांक-1 एवं 2 विवादित भूमि के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं ?	“प्रमाणित नहीं”
4	सहायता एवं व्यय ?	वादीगण का वादपत्र एवं प्रति. क्र. 1 एवं 2 का प्रतिदावा निरस्त किया गया।
5	क्या वादीगण के वादपत्र में पक्षकारों का कुसंयोजन है ?	“प्रमाणित”

वादप्रश्न क.-1, 2, 3 का निराकरण:-

8. वादप्रश्न क.1, 2, 3 एक-दूसरे से संबंधित हैं। साक्ष्य की पुनरावृत्ति नहीं हो, इस कारण उक्त वादप्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

9. देवसिंह वा.सा.1 ने स्वयं के मुख्यपरीक्षण के शपथपत्र की साक्ष्य में बताया है कि उसके दादा महारू के दो पुत्र छत्तरसिंह, अत्तरसिंह थे, जो फौत हो चुके हैं। साक्षी की माँ ओझोबाई एवं पिता छत्तरसिंह की मृत्यु के पश्चात् साक्षी उनका विधिक वारसान है। साक्षी के चाचा अत्तरसिंह का प्रति.क.1 ब्रजलाल पुत्र है। ब्रजलाल की माँ प्रति.क.2 नन्दोबाई है, जो अत्तरसिंह के वारसान है। साक्षी उसके भाई दुरपसिंह एवं प्रति.क.1 एवं 2 की भूमि सर्वे क. 182/1 रकबा 4.840 हे. भूमि प.ह.नं. 41 रा.नि.म. मजगांव, तह. परसवाड़ा जिला बालाघाट में स्थित है। उक्त भूमि को साक्षी के पिता एवं उसके चाचा ने गीताबाई को दिनांक-28.08.73 को विक्रय कर दी थी। उक्त भूमि अनुसूचित जनजाति की भूमि होने के कारण कपटपूर्वक अंतरण किये जाने के कारण अनुविभागीय अधिकारी बैहर के न्यायालय के रा.प्र.क. 84अ-23 वर्ष 1981-82 में पारित आदेश दिनांक-30.04.84 के द्वारा वापस किये जाने का आदेश हुआ था। उक्त आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में साक्षी के पिता एवं चाचा अत्तरसिंह का नाम विवादित भूमि पर दर्ज होना था, किन्तु साक्षी के चाचा द्वारा राजस्व अधिकारियों से मेल-जोल कर नायब तहसीलदार परसवाड़ा के न्यायालय में संशोधन पंजी क. 33 दिनांकित-12.10.93 के द्वारा अत्तरसिंह अकेले ने अपना नाम दर्ज करवा लिया था। विवादित भूमि पर वादीगण का नाम दर्ज नहीं हुआ था। इस कारण वादी क 1 ने तहसील न्यायालय परसवाड़ा में अपना एवं अपने भाई का नाम भूमि में जोड़ने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था।

10. देवसिंह वा.सा.1 ने उसकी साक्ष्य में यह भी बताया है कि तहसीलदार परसवाड़ा द्वारा साक्षी के छोटे भाई एवं माँ का नाम प्रतिवादीगण के साथ विवादित भूमि में शामिल-सरीक रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया था। साथ ही उक्त आदेश को तहसीलदार ने त्रुटिपूर्ण मानते हुए त्रुटि सुधार कर वादीगण का नाम जोड़ने का आदेश दिया था। तहसीलदार परसवाड़ा के उक्त आदेश के विरुद्ध प्रतिवादीगण ने अनुविभागीय अधिकारी बैहर के न्यायालय में राजस्व अपील पेश की थी, जिसमें दिनांक-29.09.07 को अनुविभागीय अधिकारी बैहर द्वारा आदेश पारित कर नायब तहसीलदार परसवाड़ा के नाम जोड़ने के आदेश को निरस्त कर दिया था। उक्त आदेश के विरुद्ध वादी क.1 ने एडिशनल कमिशनर जबलपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की थी, जो दिनांक-14.12.12 के आदेश

के द्वारा निरस्त हो गई थी एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को यथावत् रखा गया था। ग्राम सलघट की विवादग्रस्त भूमि में अत्तरसिंह की मृत्यु के पश्चात् उसके वारसान प्र.क्र. 1 व 2 का नाम राजस्व प्रलेखों में दर्ज चला आ रहा है। उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण का ही कब्जा है। वादीगण ने उक्त भूमि पर आधे हिस्से की भूमि पर हक, अधिकार बताया है। इस कारण वादीगण, प्र.क्र. 1 व 2 से अपना अंश एवं कब्जा प्राप्त करना चाहता है। वादीगण की साक्ष्य का समर्थन उनके साक्षीगण चमरुसिंह उइके वा.सा.2, सुरपसिंह मरकाम वा.सा.3, प्रतापसिंह मरावी वा.सा.4 ने उनके मुख्यपरीक्षण के शपथपत्र की साक्ष्य में किया है। वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य में विवादग्रस्त भूमि का नक्शा प्रदर्श पी-1, खसरा फार्म प्रदर्श पी-2 प्रस्तुत किया है।

11. बृजलाल प्र.सा.1 ने उसकी साक्ष्य में वादीगण की साक्ष्य का खण्डन करते हुए बताया है कि वादीगण उसके बड़े पिता के पुत्र है। साक्षी के पिता के अन्य भाई झाड़ूसिंह था जो फौत हो गया है। उनका पुत्र बीरसिंह है। विवादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। मूल पुरुष महारू की वादकथित भूमि को छोड़कर शेष अन्य कृषि भूमि का उसके तीनों पुत्रों के बीच बंटवारा हो गया था। विवादग्रस्त भूमि ख.नं. 182/1 रकबा 4.840 हे. भूमि पूर्व में वादीगण के पिता द्वारा गीताबाई को विक्रय की थी, जिसकी जानकारी प्र.क्र.1 के पिता एवं प्र.क्र.2 के पति को नहीं थी। उक्त भूमि गैर आदिवासी वर्ग को विक्रय करने के कारण प्रतिवादीगण के पिता ने भूमि को वापस प्राप्त करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी बैहर के न्यायालय में प्रकरण पेश किया था। प्र. क्र. 84-अ-23 वर्ष 1981-1982 में दिनांक-30.04.84 के आदेश के द्वारा वादकथित भूमि को प्र.क्र.1 के पिता को वापस किये जाने के आदेश के तहत उसके बाद वादकथित भूमि पर कब्जा होने के पूर्व से संबंधित राजस्व अधिकारी के न्यायालय से अत्तरसिंह का वादकथित भूमि पर विधिवत् नाम दर्ज किया गया था, तब से प्र.क्र.1 के पिता एवं उनकी मृत्यु के उपरान्त प्रतिवादीगण का उक्त भूमि पर कब्जा है। नामांतरण के कुछ समय बाद एवं वादीगण के पिता के फौत होने के बाद प्रतिवादीगण के पिता के पक्ष में इकरारनामा दिनांक-13.12.84 को स्टाम्प पर वादीगण ने सहमतिपत्र एवं प्रतिवादीगण के बड़े पिता झाड़ूसिंह के पुत्र बीरसिंह ने उसके पिता की मृत्यु के बाद वादकथित भूमि के संबंध में एक इकरारनामा दिनांक-26.07.1996 को लिखकर दिया था। उक्त विवादग्रस्त भूमि के संबंध में चली न्यायालयीन कार्यवाही में प्रतिवादीगण के पिता द्वारा अपनी पूंजी खर्च कर भूमि न्यायालय के आदेश से प्राप्त की थी। इकरारनामा के पक्षकार द्वारा इकरारनामा में लेख किया था कि

भविष्य में भूमि का हक, अधिकार नहीं मांगेंगे। इस आधार पर हक त्यागा था। इस कारण उक्त भूमि पर वादीगण का कोई स्वत्व नहीं है।

12. बृजलाल प्र.सा.1 ने उसकी साक्ष्य में यह भी बताया है कि वादकथित भूमि के पूर्व न्यायालयीन आदेश के बाद हुए पूर्व संशोधन के बाद वादीगण के द्वारा 15 वर्ष बाद तहसीलदार परसवाड़ा के न्यायालय में एक आवेदन पेश कर वादग्रस्त भूमि पर खातेदार छत्तरसिंह के नाम के साथ शामिल-सरीक खाते में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन देकर प्रकरण क्र. 13अ-6 वर्ष 2005-2006 में राजस्व अधिकारियों से मिलकर विधि विरुद्ध आदेश नाम दर्ज करने का करा लिया है, जिसके विरुद्ध पूर्व में अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में प्रतिवादीगण द्वारा अपील प्रस्तुत की थी, जिसका क्र. 8अ-6/2006-2007 है। उक्त प्रकरण के आदेश द्वारा तहसीलदार परसवाड़ा के आदेश को निरस्त कर दिया था, जिसके विरुद्ध वादीगण द्वारा पुनः कमिश्नर न्यायालय जबलपुर में अपील पेश की थी, जो खारिज हो गई थी। उसके बाद भी वादीगण ने यह वाद पेश किया है। साक्षी ने यह भी बताया है कि वादग्रस्त भूमि पर उसके पिता के जीवनकाल से उसका हक एवं कब्जा है, तब से वादीगण ने कब्जे एवं जोत के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद एवं दावा नहीं किया है। सुरपसिंह ने वादीगण के बिना हक व अधिकार के विवादित भूमि में से 2.00 एकड़ भूमि क़य करने के पूर्व में सौदा किया है, इसलिए उसने यह दावा प्रस्तुत कराया है। वादीगण उक्त भूमि में से 1/2 अंश पाने के अधिकारी नहीं है। वादीगण वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकरण से स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। प्रतिवादीगण विवादित भूमि के एकमात्र स्वत्वधारी है। लक्ष्मणसिंह प्र.सा.2 ने उसके मुख्यपरीक्षण के शपथपत्र की साक्ष्य में प्रतिवादी साक्षी क्र.1 की साक्ष्य का समर्थन किया है। संतलाल प्र.सा. 3 ने प्रति.क्र.1 की साक्ष्य का समर्थन करते हुए उसके मुख्यपरीखण के शपथपत्र की साक्ष्य में बताया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण उसके पड़ोसी हैं। प्रतिवादीगण के हक, कब्जे की विवादग्रस्त भूमि पर 30-40 वर्षों से राजस्व रिकार्ड में उनका नाम दर्ज चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमि पर अत्तरसिंह का नाम दर्ज होने के बाद देवसिंह व दुरुपसिंह ने अपना नाम दर्ज करा लिया था, जिसकी जानकारी प्रति.क्र.1 को होने पर उसने कार्यवाही कर उनका नाम कटवाया था। वादीगण ने जबरन हक पाने के लिए दावा पेश किया है, जबकि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण के हक मालिकी की है।

13. प्रतिवादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य में तहसीलदार परसवाड़ा के आदेश दिनांक-28.11.07 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श डी-1 अनुविभागीय अधिकारी बैहर के रा.प्र.क्र. 7अ-6/14-15 की आदेश दिनांक-08.05.2015 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श

डी-2, संशोधन पंजी क्र. 33 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श डी-3, वर्ष 2015-16 की किश्तबंदी खतौनी एवं खसरा पांचसाला की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श डी-4 एवं 5, अनुविभागीय अधिकारी बैहर के अपील प्र.क्र. 8अ-वर्ष 2006-07 आदेश दिनांक-29.09.2007 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श डी-6, एडिशनल कमिश्नर जबलपुर के प्र.क्र. 254/अ-6/07-08 आदेश दिनांक 14.12.12 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी-7 प्रस्तुत की है। दिनांक-13.12.94 एवं दिनांक 26.07.2007 के इकरारनामों प्रस्तुत किये हैं।

14. प्रकरण में वादीगण एवं प्रति.क्र.1 लगा. 2 ने वादग्रस्त भूमि को वादीगण के पिता छत्तरसिंह एवं प्रति.क्र.1 के पिता, प्रति.क्र.2 के पति अत्तरसिंह की शामिल-सरीक खाते की बताई है। वादीगण की साक्ष्य एवं प्रतिवादीगण की साक्ष्य के अनुसार वादग्रस्त भूमि अनुविभागीय अधिकारी बैहर के राजस्व प्रकरण क्र. 84अ-23 वर्ष 1981-82 आदेश दिनांक-30.04.84 के द्वारा गीताबाई के नाम से वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिता एवं प्रति.क्र.2 के पति के नाम पर वापस किये जाने हेतु आदेश हुआ था, परंतु उभयपक्ष ने अनुविभागीय अधिकारी बैहर के रा.प्र. क्र. 84अ-23 वर्ष 1981-82 के आदेश की कोई प्रति प्रस्तुत नहीं की। उक्त आदेश को प्रस्तुत करते तो यह पता चल सकता था कि विवादित भूमि वापस किये जाने का क्या आदेश हुआ था एवं नायब तहसीलदार से प्रतिवादीगण ने किस आधार पर संशोधन पंजी क्र. 33 आदेश दिनांक-12.10.1993 कराया था, इसका पता अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को प्रस्तुत करने से पता चल सकता था, लेकिन उभयपक्ष ने उक्त आदेश प्रस्तुत नहीं किया। उक्त आदेश को प्रस्तुत नहीं करने का उभयपक्ष ने कोई कारण भी नहीं बताया है। इस कारण यह स्पष्ट नहीं हो सकता है कि अनुविभागीय अधिकारी बैहर के रा.प्र.क्र. 84अ-23 वर्ष 1981-82 के आदेश में क्या लिखा था। उभयपक्ष ने दिनांक-28.08.1973 का विक्रयपत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है। उक्त विक्रयपत्र को प्रस्तुत करते तो यह पता चल सकता था कि अत्तरसिंह एवं छत्तरसिंह ने विवादित भूमि किस लिए बेची थी। उभयपक्ष ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है कि खानदानी भूमि कितनी थी एवं खानदानी भूमि में से किस भाई को कितना हिस्सा मिला है। वादीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है कि झाड़ूसिंह के पुत्र बीरसिंह को बंटवारे में कितनी भूमि प्राप्त हुई। इस कारण नहीं माना जा सकता है कि वादीगण, प्रतिवादीगण एवं झाड़ूसिंह के पुत्र बीरसिंह को पारिवारिक बंटवारे में कितनी भूमि प्राप्त हुई है। वादीगण ने दो इकरारनामों प्रस्तुत किये हैं। उक्त इकरारनामा रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण साक्ष्य में प्रदर्श नहीं हुए हैं, इस कारण उक्त इकरारनामों को प्रकरण में नहीं पढ़ा गया है। प्रकरण में उभयपक्ष की

साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं है कि वादीगण एवं प्रति.क्र.1 की कुल पैतृक भूमि कितनी थी एवं उन्हें बंटवारे में कितनी भूमि प्राप्त हुई है एवं बीरसिंह को बंटवारे में दी गई भूमि का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। इस कारण विवादग्रस्त भूमि के संबंध में वादीगण एवं प्रति.क्र.1 एवं 2 को विवादग्रस्त भूमि का स्वामी एवं आधिपत्यपधारी नहीं माना जा सकता। वादीगण एवं प्रति.क्र.1 एवं 2 ने विवादित भूमि के संबंध में यह स्थिति स्पष्ट नहीं की है कि उनकी पैतृक भूमि कितनी थी एवं बंटवारे में बीरसिंह को एवं वादीगण एवं प्रतिवादीगण को कितनी भूमि प्राप्त होनी थी। इस कारण वादीगण एवं प्रति.क्र.1 एवं 2 को विवादित भूमि के स्वामी एवं आधिपत्यपधारी माना जाना उचित नहीं है एवं इस कारण वादीगण विवादित भूमि में से कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है एवं वादीगण एवं प्रति.क्र.1 एवं 2 विवादग्रस्त भूमि के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

वादप्रश्न क.5 का निराकरण

15. प्रतिवादीगण ने उनके प्रतिदावा में पक्षकारों के कुसंयोजन के बारे में बताया है कि इस संबंध में ब्रजलाल प्र.सा.1 ने उसकी साक्ष्य में बताया है कि मूल पुरुष महारू के दूसरे पुत्री झाड़ूसिंह व उसके पुत्र बीरसिंह को वादपत्र के वंशवृक्ष में नहीं दर्शाया है। इस संबंध में वादीगण ने तर्क में बताया है कि झाड़ूसिंह के परिवार को उसके हिस्से की भूमि दे दी गई थी, इस कारण मृतक झाड़ूसिंह के पुत्र को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है। झाड़ूसिंह के पुत्र से प्रकरण में कोई सहायता भी नहीं चाही है। वादीगण के अनुसार झाड़ूसिंह के परिवार को उनके हिस्से की भूमि दी जा चुकी है, परंतु प्रकरण में मृतक झाड़ूसिंह को उसके हिस्से की भूमि दिये जाने से संबंधित वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं। वादीगण ने प्रकरण में मृतक झाड़ूसिंह के पुत्र बीरसिंह को पक्षकार नहीं बनाया है। इस कारण प्रकरण में पक्षकारों का कुसंयोजन माना जाता है।

वादप्रश्न क.-4 सहायता एवं व्यय

16. प्रकरण की उपरोक्त विवेचना में वादीगण विवादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक-182/1 रकबा 4.820 हेक्टेयर मौजा सलघट तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट के संबंध में अपना वादपत्र एवं प्रति.क्र.1 एवं 2 विवादित भूमि के संबंध

में अपना प्रतिदावा प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। अतः वादीगण का वादपत्र एवं प्रति.क्र.1 एवं 2 का प्रतिदावा निरस्त किया जाता है। परिणाम स्वरूप निम्न आशय की डिक्री पारित की जाती है:-

- 1- उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय वहन करेंगे।
- 2- अभिभाषक शुल्क नियमानुसार देय होगी।

तदनुसार आज्ञाप्ति बनाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(दिलीप सिंह)

द्वितीय व्य0न्याया0 वर्ग-1
तहसील बैहर, जिला बालाघाट

(दिलीप सिंह)

द्वितीय व्य0न्याया0 वर्ग-1
तहसील बैहर, जिला बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)